

31/11/18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत
के मध्य सचिवों के द्वारा पाठ के साथ पेश
हुई। (आपी उमरिया) पत्रावली का सम्बन्ध
विद्यमान/पत्रावली के उपलक्ष्य राजस्व विभाग
एवं आपत पर या सम्बन्ध विद्यमान है।
सम्बन्ध से प्रथम दृष्टया ऐसा एक सुविधा
का स्वरूप प्राप्त है पदा के सम्बन्ध लोक अदालत
होता है।

ज्ञात: सादर है कि फिलि 19/11/18
को जारी की गई पत्रावली विषयक याददास्त
सं. नं. 1543 रकबा 0.04 है। जो कि आरंभ विभाग
आहसील भागाना का एक फलदायक था
संयुक्त किया जाता है। विभाग के अंतर्गत सुविधा
होकर 0.04 रकबा के अंतर्गत पत्रावली का सम्बन्ध
या विभाग पत्रावली है।

अध्यक्ष
(सिपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०